भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-226

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 के अंतर्गत सुधार

***226. डा. के. लक्ष्मण:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या है;

(ख) इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि, तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है; और

(ग) इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

"विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 के अंतर्गत सुधार" पर दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 226 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) :

(i) विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 दिनांक 13.03.2026 को अधिसूचित किया गया था तथा कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों की योग्यता और सत्यापन के लिए फ्रेमवर्क में इनमें संशोधन किया गया। विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 के मुख्य बिंदु **अनुबंध-I** पर संलग्न हैं। मूल नियम (विद्युत नियम, 2005) में आगे कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है।

विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 में कैप्टिव उत्पादन योग्यता और सत्यापन प्रावधानों में अस्पष्टताओं को दूर करके कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों के संचालन के लिए फ्रेमवर्क को सुदृढ़ किया गया है। इन संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक कॉर्पोरेट समूह के भीतर सहायक कंपनियों और होल्डिंग कंपनियों को मान्यता देकर स्वामित्व आवश्यकताओं को स्पष्ट किया गया है, व्यक्तियों के संघों के माध्यम से स्थापित समूह कैप्टिव परियोजनाओं के लिए अधिक प्रचालनात्मक अनुकूलन प्रदान किया गया है, अंत: राज्यीय और अंतर राज्यीय कैप्टिव खपत के लिए कैप्टिव स्थिति के सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, और सत्यापन लंबित रहने तक क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लगाने के लिए एक पारदर्शी फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना, मुकदमेबाजी और नियामक अनिश्चितता को कम करना, कैप्टिव उत्पादन, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को सुगम बनाना और देश भर में कैप्टिव उत्पादन फ्रेमवर्क का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के स्थान पर मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2026 (एनईपी 2026) तैयार की है। इस मसौदा नीति को हितधारकों के परामर्श हेतु दिनांक 20.01.2026 के पत्र के माध्यम से परिचालित किया गया था। इसमें वित्तीय रूप से व्यवहार्य, दक्ष और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय विद्युत क्षेत्र के माध्यम से विश्वसनीय, किफायती और गुणवत्तापूर्ण 24×7 विद्युत उपलब्ध कराने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया गया है। मसौदा एनईपी 2026 के प्रमुख उद्देश्य और प्रस्तावित प्रमुख सुधार **अनुबंध-II** पर हैं।

मसौदा एनईपी में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता, प्रचालनात्मक दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए उत्पादन, पारेषण, वितरण और विद्युत बाजार क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की परिकल्पना की गई है। प्रमुख उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, लागत अनुकूलन के साथ संसाधन पर्याप्तता आयोजना, लागत-प्रतिबिम्बित टैरिफ, स्मार्ट मीटरों के चरणबद्ध कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी गतिविधियों के माध्यम से कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी,

वितरण यूटिलिटी के कॉर्पोरेट प्रशासन को सुदृढ़ करना, साझा वितरण नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जीआईएस-आधारित परिसंपत्ति मानचित्रण सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग और पारेषण नेटवर्क और ग्रिड की मजबूती शामिल हैं। इन सुधारों से यूटिलिटी की वित्तीय स्थिरता में सुधार, प्रचालनात्मक दक्षता में वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक एकीकरण को सुगम बनाने और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, किफायती और गुणवत्तापूर्ण 24×7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

(ग) : मसौदा एनईपी 2026 दिनांक 20.01.2026 को राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से टिप्पणियों और सुझावों के लिए परिचालित की गई थी और इसे सार्वजनिक डोमेन में भी रखा गया था, जिस पर 19.03.2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। तब से राज्य सरकारों, विनियामक आयोगों, यूटिलिटी, उद्योग संघों और अन्य इच्छुक संस्थाओं सहित विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा 22-23 जनवरी, 2026 को आयोजित चिंतन शिविर और दिनांक 19-22 मार्च, 2026 को आयोजित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन के दौरान भी मसौदा नीति पर विचार-विमर्श किया गया।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों की समीक्षा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विनियामक आयोगों और अखिल भारतीय वितरण संघ के प्रतिनिधियों का एक कार्य समूह का गठन किया गया। कार्य समूह ने दिनांक 05.06.2026 को विद्युत मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। वर्तमान में मसौदा एनईपी, 2026 को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

रा.स.तारां.प्र.सं. 226

अनुबंध-I

विद्युत (संशोधन) नियम, 2026

मुख्य उद्देश्य

1. कैप्टिव पावर फ्रेमवर्क उद्योगों के लिए विद्युत खरीद लागत कम करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2. समकालीन कॉर्पोरेट संरचनाओं को प्रतिबिंबित करने वाला एक आधुनिक और लचीला कैप्टिव उत्पादन फ्रेमवर्क प्रदान करना कैप्टिव उत्पादन को बढ़ावा देने, विद्युत खपत में भविष्य की वृद्धि को गति देने और भारत के गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणाली में पारगमन का समर्थन करने के लिए आवश्यक है।

3. कैप्टिव उत्पादन सत्यापन ढांचे में अस्पष्टताओं को दूर करना कैप्टिव और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को सुविधाजनक बनाने, व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने, मुकदमेबाजी को कम करने और देश भर में कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों के सत्यापन के लिए एक पारदर्शी, न्यायसंगत और एक समान फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

प्रमुख सुधार

1. स्वामित्व संबंधी आवश्यकताएँ

- *स्वामित्व* की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इसमें कैप्टिव उत्पादन स्टेशन स्थापित करने वाली संस्था की सहायक कंपनी(यों), होल्डिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी की अन्य सहायक कंपनी(यों) को शामिल किया गया है।

- इसे समकालीन कॉर्पोरेट संरचनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए लागू किया गया है, जहां परिचालन और वित्तीय दक्षता और अनुकूलन के लिए समूह संस्थाओं के माध्यम से संपत्तियों का विकास और भंडारण किया जाता है।

2. व्यक्तियों के संघ (एओपी) द्वारा संचालित कैप्टिव संयंत्र

- व्यक्तियों के संघ (एओपी) द्वारा स्थापित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के मामले में, प्रत्येक कैप्टिव उपयोगकर्ता अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर विद्युत उत्पादन के लिए स्वतंत्र है। कैप्टिव खपत की पात्रता केवल स्वामित्व के अनुरूप आनुपातिक खपत की आवश्यकता से जुड़ी है, और विशिष्ट सीमा से कम या अधिक खपत के लिए अयोग्यता लागू नहीं होती है।

- इससे यह सुनिश्चित होता है कि समूह कैप्टिव मॉडल स्वामित्व और उपभोग सबंधी मानदंडों के पीछे निहित वैधानिक आशय का अनुपालन करते हुए अपने अभिप्रेत इच्छित अनुकूलन को बरकरार रखता है।

3. सत्यापन प्रक्रिया:

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों को अंत: राज्यीय कैप्टिव उपभोग, अर्थात् जहाँ कैप्टिव उत्पादन संयंत्र तथा कैप्टिव उपभोक्ता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित हों, के लिए कैप्टिव स्थिति के सत्यापन हेतु एक नोडल एजेंसी नामित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नोडल एजेंसी द्वारा कैप्टिव स्थिति का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

- अंतर-राज्यीय कैप्टिव विद्युत उपभोग, अर्थात् जहाँ कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र तथा कैप्टिव उपभोक्ता(ओं) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हों, के लिए कैप्टिव स्थिति का सत्यापन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) द्वारा किया जाएगा। सत्यापन, केंद्र सरकार के अनुमोदन से राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

- नोडल एजेंसियों के सत्यापन संबंधी निर्णयों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को उपयुक्त सरकार द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखा जाएगा।

- इससे सुव्यवस्थित कार्यान्वयन, कैप्टिव स्थिति का समय पर सत्यापन और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं, उत्पादकों और वितरण लाइसेंसधारियों के लिए बेहतर स्पष्टता सुनिश्चित होगी।

4. कैप्टिव स्थिति सत्यापन लंबित रहने के दौरान क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज (सीएसएस) और अतिरिक्त सरचार्ज (एएस) का उपचार:

- किसी भी मूल्यांकन अवधि के लिए कैप्टिव स्थिति का सत्यापन लंबित रहने तक, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि कैप्टिव उपयोगकर्ता(ओं) आवश्यक घोषणा प्रस्तुत करें।

- यदि उत्पादन संयंत्र, घोषणा प्रस्तुत करने के बावजूद, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कैप्टिव स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने में अंततः विफल रहता है, तो संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा वहन लागत सहित लागू क्रॉस-सब्सिडी अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार का भुगतान किया जाएगा। वहन लागत की गणना विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार तथा संबंधित मामले) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार विलंबित भुगतान अधिभार की आधार दर पर की जाएगी।

- इससे समानता सुनिश्चित होती है, वितरण लाइसेंसधारियों के वित्तीय हितों की रक्षा होती है और सत्यापन लंबित रहने तक राहत प्रदान करते हुए जवाबदेही बनी रहती है।

रा.स.तारां.प्र.सं. 226

अनुबंध-।।

राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2026

मुख्य उद्देश्य

1. विद्युत क्षेत्र का वित्तीय पुनरुद्धार और व्यावसायिक व्यवहार्यता।

2. अधिकतम मांग तथा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ चौबीसों घंटे (24×7) विश्वसनीय, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

3. 'विकसित भारत @ 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विद्युत आपूर्ति।

4. राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना।

5. विद्युत की खरीद और आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

6. ऊर्जा दक्षता तथा विद्युत के उत्तरदायी उपयोग को सुनिश्चित करते हुए, वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति विद्युत खपत को 2,000 किलोवाट-घंटा तथा वर्ष 2047 तक 4,000 किलोवाट-घंटा से अधिक के स्तर तक बढ़ाना।

7. बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग, अनुकूल संचालन को सक्षम बनाने और जलवायु अनुकूलन और साइबर सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रिड की मजबूती को बढ़ाना।

8. उपभोक्ता-केंद्रित सेवा को बेहतर बनाना और मांग-पक्ष संबंधी गतिविधियों को लागू करना।

9. विवादों का तेजी से समाधान हो सके और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना।

प्रमुख सुधार

1. संसाधन पर्याप्तता (आरए): विकेंद्रीकृत अग्रिम योजना के माध्यम से आवश्यक क्षमता विस्तार सुनिश्चित करने के लिए, डिस्कॉम और एसएलडीसी राज्य आयोगों के नियमों के अनुसार यूटिलिटी और राज्य स्तर पर संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ तैयार करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने हेतु सीईए द्वारा इसके अनुरूप एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी।

2. वित्तीय व्यवहार्यता और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता:

- शुल्कों को स्वचालित वार्षिक संशोधन के लिए एक उपयुक्त सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए, जो तब लागू होगा जब राज्य आयोग द्वारा कोई शुल्क आदेश पारित नहीं किया जाता है।

- शुल्कों को मांग शुल्कों के माध्यम से निश्चित लागतों की वसूली में क्रमिक रूप से योगदान देना चाहिए ताकि शुल्क घटकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच क्रॉस सब्सिडीकरण से बचा जा सके।

- भारतीय वस्तुओं की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए विनिर्माण उद्योग, रेलवे और मेट्रो रेलवे पर लगाए जाने वाली क्रॉस-सब्सिडी और अधिभारों से छूट देना।

- विनियामक आयोगों पर बोझ कम करने, विवादों का तेजी से समाधान करने और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और भंडारण:

- बाजार आधारित तंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि।

- वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं की ओर से भंडारण क्षमता स्थापित करना ताकि किफायती अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाया जा सके और थोक उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) स्रोतों को अपनाने में सुविधा प्रदान की जा सके।

- डीईआर से प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा का व्यापार, साथ ही उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं (पी2पी) या एग्रीगेटरों के माध्यम से इसका भंडारण।

- वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक स्रोतों के बीच समय-निर्धारण और विचलन में समानता।

- भंडारण की बाजार-आधारित तैनाती, उभरती बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) प्रौद्योगिकियों का उपयोग, बीईएसएस के सेल और अन्य घटकों का घरेलू विनिर्माण और बीईएसएस और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए वीजीएफ जैसे मांग-पक्ष प्रोत्साहन।

4. तापविद्युत उत्पादन:

- नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए भंडारण का एकीकरण और ग्रिड को सहायता देने के लिए पुरानी यूनिट का पुन: उपयोग।

- ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न भाप के प्रत्यक्ष उपयोग की संभावनाओं का अन्वेषण करना, ताकि डिसट्रिक्ट कूलिंग अथवा औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे अनुप्रयोगों में इसका अधिकतम एवं इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

5. न्यूक्लियर उत्पादन:

- शांति अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप, उन्नत न्यूक्लियर प्रौद्योगिकियों को अपनाना, मॉड्यूलर रिएक्टरों का विकास करना, छोटे रिएक्टरों की स्थापना करना तथा वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा न्यूक्लियर ऊर्जा का उपयोग करके वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना।

6. जलविद्युत उत्पादन:

- बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल एवं ऊर्जा सुरक्षा के लिए भंडारण आधारित जलविद्युत परियोजनाओं का त्वरित विकास।

7. विद्युत बाजार:

- बाजार में मिलीभगत, हेराफेरी या प्रभुत्व को रोकने के लिए बाजार की निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु एक मजबूत विनियामक फ्रेमवर्क।

8. पारेषण:

- राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाना और भूमि उपयोग के लिए उचित मुआवजा देना।

- संचार कनेक्टिविटी के आवंटन के लिए उपयोग-आधारित फ्रेमवर्क, साथ ही इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और कनेक्टिविटी की जमाखोरी सट्टा भंडारण को रोकने के लिए उपयुक्त नियामक तंत्र।

9. वितरण:

- इकाई अंक एटी एंड सी हानि को प्राप्त करने के उपाय।

- साझा वितरण नेटवर्क प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ नेटवर्क के डुप्लिकेशन की आवश्यकता को समाप्त करता है।

- नेटवर्क साझाकरण और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण, वाहन-से-ग्रिड (वी2जी) प्रणालियों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वितरण प्रणाली संचालक (डीएसओ) की स्थापना।

10. ग्रिड संचालन:

- राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) का कार्यात्मक पृथक्करण और एसएलडीसी संचालन और पारेषण नियोजन कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र राज्य-स्तरीय संस्थाओं का निर्माण।

- सीईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के साथ राज्य ग्रिड कोड का संरेखण

11. साइबर सुरक्षा:

- सुदृढ़ साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करना।

- डेटा संप्रभुता और सिस्टम की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्र के डेटा का भारत के भीतर अनिवार्य भंडारण।

12. डेटा साझाकरण:

- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क के अंतर्गत परिचालन और बाजार संबंधी आंकड़ों का साझाकरण।

- डिस्कॉम और एसएलडीसी को वितरित ऊर्जा संसाधनों की वास्तविक समय में दृश्यता सुनिश्चित करना।

13. प्रौद्योगिकी और कौशल विकास:

- वर्ष 2030 तक स्वदेशी रूप से विकसित स्काडा प्रणाली में पारगमन।

- विद्युत प्रणाली में सभी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए घरेलू सॉफ्टवेयर समाधान का विकास।
